संख्या-74/2025/1115/2025-003-27-10002(002)/13/2024-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 17 जुलाई, 2025

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद-मेरठ एवं बरेली में असफल राजकीय नलकूपों के पुन:निर्माण एवं आधुनिकीकरण की 02 परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-1342/03-72एफ.डब्ल्यू/मेरठ 13 असफल राज. नल. पुन:निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 17.06.2025 एवं पत्रांक-1330/03-72एफ.यू./बरेली 12 असफल राज. नल. पुन:निर्माण/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 27.05.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-मेरठ एवं बरेली में असफल राजकीय नलकूपों के पुन:निर्माण एवं आधुनिकीकरण की निम्न 02 परियोजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4702-102-03-0318-24 "राजकीय नलकूपों का पुन:निर्माण'' में प्राविधानित धनराशि रू0 5633.94 लाख में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार द्वितीय/तृतीय किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 2,45,48,000/- (रूपये दो करोड़ पैंतालीस लाख अड़तालीस हजार मात्र) व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित बजट (परियोजना हेतु धनराशि)	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं0/ दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a)/गठित अनुबंध की लागत (b)	अनुबंधित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/ पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत (7-9)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में	
										अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	जनपद-मेरठ के अन्तर्गत नलकूप खण्ड (पूर्व), मेरठ में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 13 असफल राजकीय नलकूपों के पुन:निर्माण की परियोजना	94-4702-102-03-0318-24	5633.94 (41.40)	135/2024/2418/001-27-10002(002)/13/2024-10, दिनांक 27.09.2024 एवं 23/2025/57/25-002-27-10002(002)/13/2024-10, दिनांक 21.02.2025	346.45 (a)/ 292.88 (b)	345.60	0.85	304.20 (173.22 + 130.98)	41.40	94-4702-102-03-0318-24	41.40
2	जनपद-बरेली के नलकूप खण्ड-द्वितीय, बरेली के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 12 असफल राजकीय नलकूपों के पुन:निर्माण एवं आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0318-24	5633.94 (204.08)	135/2024/2418/001-27-10002(002)/13/2024-10, दिनांक 27.09.2024	304.68 (a)/ 257.69 (b)	304.08	0.60	100.00	204.08	94-4702-102-03-0318-24	204.08
										कुल धनराशि -	**245.48**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध -

प्रश्नगत परियोजना/मद में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-135/2024/2418/001-27-10002(002)/13/2024-10, दिनांक 27.09.2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 यथासंशोधित शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,45,48,000 (रुपये दो करोड़ पैंतालीस लाख अड़तालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001020318 राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या-74 /2025/1115(1)/2025-003-27-10002(002)/13/2024-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) मुख्य अभियन्ता (नलकूप पश्चिम/मध्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, मेरठ/लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(9) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।